राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवम्
प्रगति विवरण
2020–21

(माह दिसम्बर, 2020 तक)

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवम् प्रगति विवरण

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
1.0	प्रस्तावना	1
2.0	कार्यक्षेत्र	1
3.0	विभाग का संगठनात्मक ढाँचा	1
4.0	संस्थापन	2
4.1	विभाग में मदवार स्वीकृत पद	2
4.2	विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण	2
5.0	वित्तीय व्यवस्था	2
6.0	विभागीय प्रमुख कार्य	3
7.0	भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2020 तक)	3
7.1	शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करना	3
7.1.1	मास्टर प्लान्स की प्रगति	4
7.1.2	वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रगवि (दिसम्बर, 2020 तक)	5
7.2	नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने में सहयोग प्रदान करना	5
7.3	राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना	6
7.4	भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना	6
7.5	मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना	7
7.6	कोटा जोनल कार्यालय के भवन का निर्माण	7
7.7	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना	7
7.7.1	राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना–2041	7
7.7.2	मास्टर प्लान	7
7.7.3	अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट/परियोजनाएँ एवम् कार्य	8
8.0	प्रशासनिक कार्य	9
8.1	पदोन्नति	9
8.2	नियुक्तियाँ	9
	परिशिष्ट–'अ' विभाग का संगठनात्मक ठाँचा	10
	परिशिष्ट–'ब' विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण	11
	परिशिष्ट–'स' पदवार पदोन्नतियों का विवरण–2020–21	12
	परिशिष्ट–'द' सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण–2020–21	13

वित्तीय वर्ष 2020–2021 का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवम् प्रगति विवरण

1.0 प्रस्तावना :

नगर नियोजन विभाग का मुख्य कार्य राज्य के नगरों तथा कस्बों के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं की रचना करना तथा विभिन्न स्थानीय संस्थाओं/स्थानीय निकायों/अन्य विभागों एवम् राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना बनाना तथा मोनिटरिंग का कार्य भी सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के बनाने एवम् उनके क्रियान्वयन हेतु अधिनियम, नियम एवम् विनियम आदि तैयार किये जाते हैं।

2.0 कार्यक्षेत्र :

नगर नियोजन विभाग का मुख्यालय, जयपुर में स्थित है। विभाग का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से खण्डीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इनमें से जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवम् जोधपुर में वरिष्ठ नगर नियोजक एवम् अलवर एवम् भरतपुर में उप नगर नियोजक के कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

जयपुर क्षेत्र – जयपुर, दौसा, सीकर एवम् झुन्झुनू जिले।

कोटा क्षेत्र – कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां एवम् सवाईमाधोपुर जिले।

जोधपुर क्षेत्र – जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाडमेर एवम् जैसलमेर जिले।

उदयपुर क्षेत्र – उदयपुर,राजसमन्द,बांसवाड़ा,डूंगरपुर,चित्तौड़गढ़ एवम् प्रतापगढ़ जिले।

बीकानेर क्षेत्र – बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवम् हनुमानगढ़ जिले।

अजमेर क्षेत्र – अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा एवम् नागौर जिले।

अलवर क्षेत्र – अलवर जिला।

भरतपुर क्षेत्र – भरतपुर, धौलपुर एवम् करौली जिले।

उपरोक्त 8 जोनल एवम् क्षेत्रीय कार्यालायों के अतिरिक्त राज्य के शेष 25 जिलों में भी नगर नियोजन इकाईयाँ स्थापित की हुई हैं।

3.0 विभाग का संगठनात्मक ढाँचा :

नगर नियोजन विभाग; अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। इस विभाग के विभागाध्यक्ष; मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट 'अ'*** पर संलग्न है।

बजट (2020–2021) (रुपये लाखों में)

मद	बजट प्रावधान (BE) वर्ष 2020–2021	व्यय (01.04.2020 से 31.12.2020 तक)
राज्य निधि (प्रतिबद्ध)	1166.28	832.60
राज्य निधि	371.14	197.90
योग	**1537.42**	**1030.50**

6.0 विभागीय प्रमुख कार्य :

राज्य में सतत् व समग्र नियोजित विकास की प्रक्रिया को वांछित दिशा देने हेतु वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा नगर नियोजन विभाग का गठन किया गया था। राज्य में नियोजित नगरीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा निम्न प्रमुख कार्य सम्पादित किये जाते हैं :–

1. राजस्थान के शहरों/कस्बों के नियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।
2. राज्य सरकार को नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियों को बनाने एवम् पुनर्विलोकन (Review) करने में सहायता प्रदान करना।
3. राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों/नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सैक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना की नीतियों के तहत राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना बनाना व एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड व राजस्थान उप क्षेत्र के स्थानीय निकायों/न्यासों तथा अन्य विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवम् स्थानीय निकायों/विभागों से प्रोजेक्ट तैयार करवाना।

7.0 भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2020 तक) :

विभाग द्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

7.1 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करना :

सपोटरा, सुल्तानपुर, अटरू, लालगढ़–जाटान व बामनवास नवीन नगरपालिकाऐं गठित की गई है तथा इनके मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.1.2 वित्तीय वर्ष 2020–2021 की प्रगति (दिसम्बर, 2020 तक) :

- हनुमानगढ़ प्रारूप मास्टर प्लान–2035 (प्रारूप) के सम्बंध में प्राप्त आपत्ति / सुझावों का परीक्षण उपरान्त मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाकर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु दिनांक 23.12.2020 को प्रेषित किया जा चुका है।
- श्रीगंगानगर मास्टर प्लान–2035 (प्रारूप) के संबंध में प्राप्त आपत्ति / सुझावों का परीक्षण कर मास्टर प्लान को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- सवाई माधोपुर मास्टर प्लान–2035 (प्रारूप) के संबंध में प्राप्त आपत्ति / सुझावों का परीक्षण कर मास्टर प्लान को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- गंगापुरसिटी, डूँगरपुर, सुजानगढ़ व सरदार शहर के मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष राज्य सरकार द्वारा जून, 2020 से जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है एवं इन 04 शहरों के द्वितीय मास्टर प्लान तैयार किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- पाली शहर का मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2023 के लिये बनाया गया था, जिसका राज्य सरकार से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नया मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

7.2 नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने में सहयोग प्रदान करना :

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान नगरीय विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम आदि तैयार करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. **<u>मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2020 :</u>**

   राज्य की समस्त नगरीय निकायों हेतु नए भवन विनियम लागू करने के लिए विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2020 तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय निकायों को अपने स्तर पर अनुमोदित कर लागू करने हेतु दिनांक 16.10.2020 को जारी कर दिए गए हैं।

2. **<u>राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में नए प्रावधान एवं संशोधन :</u>**

   राज्य में वर्तमान में लागू राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में विभिन्न योजनाओं यथा व्यावसायिक, औद्योगिक, फार्म हाउस, डेयरी आदि हेतु प्रावधान निर्धारित नहीं होने के कारण एवं पॉलिसी में दिए गए कई प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होने पर संशोधित प्रावधान तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को अनुमोदित कर अधिसूचना जारी की गई।

को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण कर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

7.5 मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना :

नगरीय निकायों के स्तर पर जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2019 को जारी नवीन विस्तृत गाईड लाईन्स के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों के स्तर पर जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है। विभाग द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार कराने में नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों को आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन/सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

7.6 कोटा जोनल कार्यालय के भवन का निर्माण:

विभाग के मुख्यालय के भवन का निर्माण वर्ष 1991 में पूर्ण होने के उपरान्त जोनल कार्यालय बीकानेर एवं अजमेर के भवनों का निर्माण क्रमशः वर्ष 2002 एवं 2010 में किया गया था। कोटा जोनल कार्यालय का भवन निर्माण वर्ष 2018 में प्रारम्भ किया जाकर वर्ष 2020 में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा अपने नये भवन में संचालित है।

7.7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर) राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना :

7.7.1 राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना :

एनसीआर प्रकोष्ठ, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अलवर एवं जिला भरतपुर हेतु राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना–2021 तैयार की गयी है। जिला अलवर एवं जिला भरतपुर हेतु उप क्षेत्रीय योजना–2021 का क्रमशः नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10.11.2015 एवं दिनांक 18.02.2020 द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

7.7.2 मास्टर प्लान:

नवगठित नगर पालिका रूपवास (जिला भरतपुर) एवं थानागाजी (जिला अलवर) के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अलवर मे नई टाउनशिप तिजारा एवं संस्थागत उप नगर किशनगढबास के मास्टर प्लान तैयार किये गये।

8.0 प्रशासनिक कार्य :

8.1 पदोन्नतियाँ :

विभाग में लगभग सभी संवर्गो के वर्ष 2020–2021 तक के उपलब्ध रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाकर 24 कार्मिकों को नियमित पदोन्नतियाँ एवं 2 कार्मिकों को आवश्यक/अस्थाई पदोन्नति दी जा चुकी है। जिनका विवरण *परिशिष्ट–'स'* पर संलग्न है। दो संवर्गो की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है, जिनमें कुल 8 कार्मिकों के पदोन्नत होने की संभावना है।

8.2 नियुक्तियाँ :

विभाग में सहायक नगर नियोजक के 15 पदों पर तथा नगर नियोजन सहायक के 03 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पादित की जा चुकी है। शीघ्रलिपिक के 05 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग को भिजवाए हुए हैं।

विभाग में रिक्त 29 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्यय./2014 दिनांक 01.04.15 के प्रावधानान्तर्गत वित्त विभाग की सहमति उपरान्त 07 रिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा 22 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को वर्ष 2018 में प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इसके अतिरिक्त सहायक नगर नियोजक के 43 पदों एवं सहायक नगर नियोजक (पीआर) के 3 और पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। जिनका विवरण *परिशिष्ट–'द'* पर उपलब्ध है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अधीनस्थ संवर्ग के पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार का प्रावधान समाप्त करने के लिए निर्देशित किये जाने के क्रम में विभाग द्वारा सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को भिजवाये गये हैं, जो प्रक्रियाधीन है।

———————————

—————

परिशिष्ठ —'अ'

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF TOWN PLANNING DEPARTMENT As on 31.12.2020

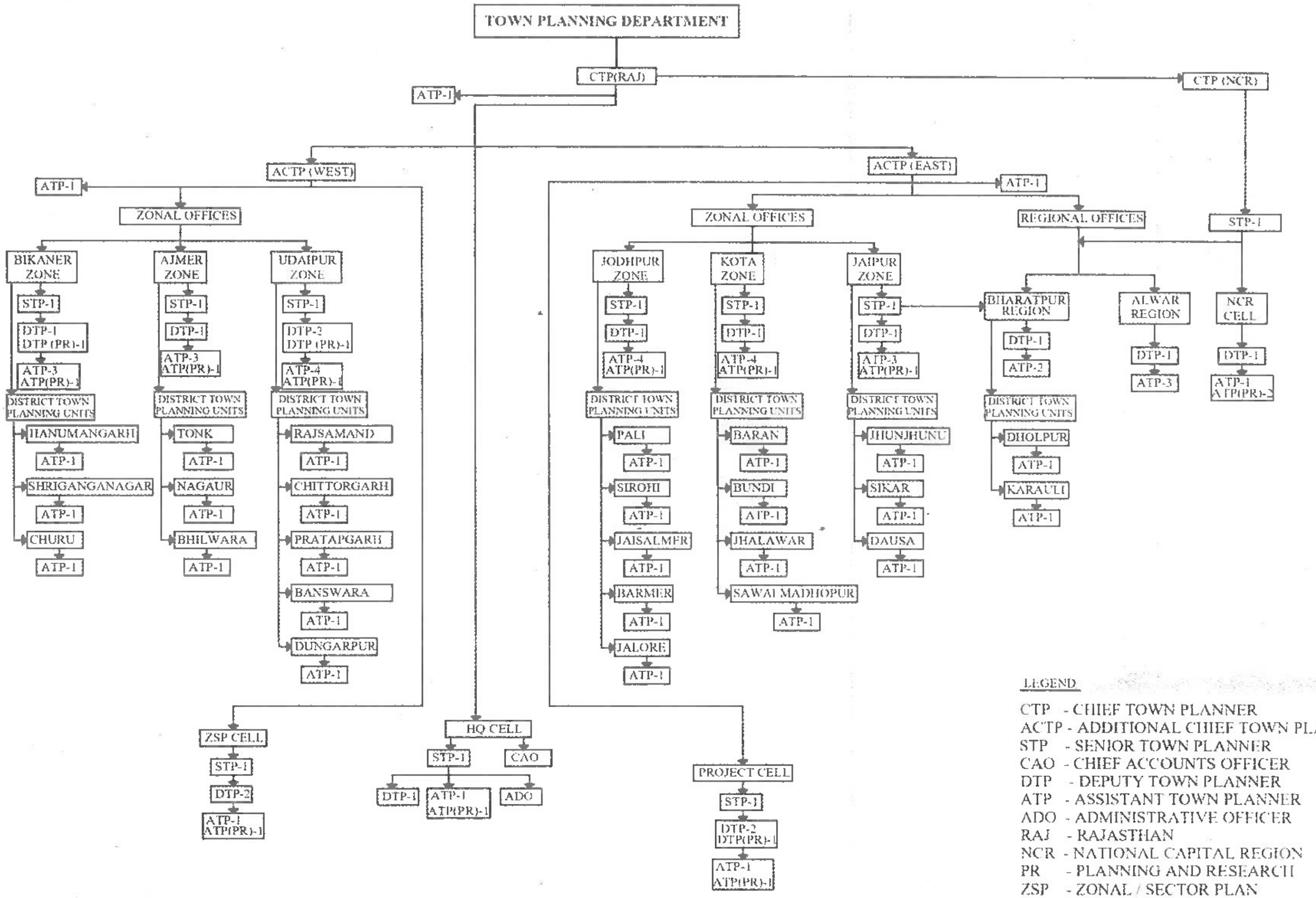

LEGEND

CTP - CHIEF TOWN PLANNER
ACTP - ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER
STP - SENIOR TOWN PLANNER
CAO - CHIEF ACCOUNTS OFFICER
DTP - DEPUTY TOWN PLANNER
ATP - ASSISTANT TOWN PLANNER
ADO - ADMINISTRATIVE OFFICER
RAJ - RAJASTHAN
NCR - NATIONAL CAPITAL REGION
PR - PLANNING AND RESEARCH
ZSP - ZONAL / SECTOR PLAN
HQ - HEADQUARTER

परिशिष्ट–'ब'

विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण
(दिनाँक 31.12.2020 की स्थिति में)

क्र. सं.	पद का वर्गीकरण	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	अन्य विभागों/ स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
1	राजपत्रित पद	मुख्य नगर नियोजक	2	1	1	0
2	राजपत्रित पद	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	2	2	0	1
3	राजपत्रित पद	वरिष्ठ नगर नियोजक	10	2	8	5
		निलम्बितः वरिष्ठ नगर नियोजक		2	-2	
4	राजपत्रित पद	उप नगर नियोजक	15	15	0	17
		निलम्बितः उप नगर नियोजक		1	-1	
5	राजपत्रित पद	उप नगर नियोजक(पीआर)	3	2	1	1
6	राजपत्रित पद	सहायक नगर नियोजक	58	17	41	14
		APO : सहायक नगर नियोजक		1	-1	
7	राजपत्रित पद	सहायक नगर नियोजक(पीआर)	10	3	7	0
8	राजपत्रित पद	सहायक अभियन्ता	15	5	10	0
9	राजपत्रित पद	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0	0
10	राजपत्रित पद	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	1	1	0	0
11	राजपत्रित पद	अतिरिक्त निजी सचिव	8	6	2	0
12	राजपत्रित पद	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	0
13	राजपत्रित पद	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0	0
		कुल (अ) :	**129**	**62**	**67**	**38**
14	अराजपत्रित पद	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0
15	अराजपत्रित पद	अनुसंधान सहायक	8	0	8	0
16	अराजपत्रित पद	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	8	3	5	0
17	अराजपत्रित पद	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय	10	1	9	0
18	अराजपत्रित पद	कनिष्ठ अभियन्ता	3	0	3	0
19	अराजपत्रित पद	नगर नियोजन सहायक	6	5	1	2
20	अराजपत्रित पद	वरिष्ठ प्रारूपकार	25	18	7	8
21	अराजपत्रित पद	कनिष्ठ प्रारूपकार	25	0	25	0
22	अराजपत्रित पद	फैरोप्रिन्टर	1	1	0	0
23	अराजपत्रित पद	फेरोमेन	2	2	0	0
24	अराजपत्रित पद	सर्वे सहायक	1	0	1	0
25	अराजपत्रित पद	वाहन चालक	2	2	0	0
26	अराजपत्रित पद	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	2	2	0	0
27	अराजपत्रित पद	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1	0
28	अराजपत्रित पद	निजी सहायक	6	0	6	0
29	अराजपत्रित पद	शीघ्रलिपिक	5	0	5	0
30	अराजपत्रित पद	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	8	1	0
31	अराजपत्रित पद	वरिष्ठ सहायक	18	6	12	0
32	अराजपत्रित पद	कनिष्ठ सहायक	27	23	4	0
33	अराजपत्रित पद	जमादार	6	4	2	0
34	अराजपत्रित पद	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	11	21	1
		कुल (ब) :	**207**	**96**	**111**	**11**
		योग (अ एवम् ब) :	**336**	**158**	**178**	**49**

परिशिष्ट–'स'

पदवार पदोन्नतियों का विवरण 2020–2021

क्र. सं.	पदनाम	नियमित पदोन्नति	कुल पदोन्नति	विशेष विवरण
		(I) राजपत्रित संवर्ग –		
1.	मुख्य नगर नियोजक	1	1	–
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	4	4	–
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
4.	उप नगर नियोजक	11	11	–
5.	उप नगर नियोजक(पीआर)	–	–	–
6.	सहायक नगर नियोजक	–	–	पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।
7.	सहायक नगर नियोजक (पीआर)	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
8.	सहायक अभियन्ता	–	–	–
	योग	**16**	**16**	
		(II) अधीनस्थ संवर्ग		
1.	अनुसंधान सहायक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
2.	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
3.	नगर नियोजन सहायक	–	–	पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।
4.	वरिष्ठ प्रारूपकार	0	0	विभाग में कोई कनिष्ठ प्रारूपकार कार्यरत नहीं है।
5.	कनिष्ठ प्रारूपकार	0	0	विभाग में कोई अनुरेखक कार्यरत नहीं है।
6.	फैरोप्रिन्टर	0	0	एक्स कैडर पद होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी।
	योग	**0**	**0**	
		(III) मन्त्रालयिक संवर्ग		
1.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1	–
2.	निजी सहायक	–	–	विभाग में कोई शीघ्रलिपिक कार्यरत नहीं है।
3.	प्रशासनिक अधिकारी	–	–	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	–
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2	4	–
6.	वरिष्ठ सहायक	1	1	–
7.	कनिष्ठ सहायक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
	योग	**6**	**8**	
		(IV) चतुर्थ श्रेणी संवर्ग		
1.	जमादार	2	2	–
	योग	**2**	**2**	
	कुल योग (I+ II+III+IV)	**24**	**26**	

परिशिष्ट–'द'

सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण 2020–2021
(जिनके लिये नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है)

क्र.सं.	पदनाम	पे लेवल	रिक्त पद	भर्ती का माध्यम
1.	सहायक नगर नियोजक	एल–14	43	राजस्थान लोक सेवा आयोग
2.	सहायक नगर नियोजक(पीआर)	एल–14	04	राजस्थान लोक सेवा आयोग
3.	अनुसंधान सहायक	एल–12	06	राजस्थान लोक सेवा आयोग
4.	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	एल–10	04	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
5.	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय	एल–08	10	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
6.	वरिष्ठ प्रारूपकार	एल–10	02	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
7.	कनिष्ठ प्रारूपकार	एल–08	06	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
कुल योग			**75**	